

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2015

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति
राजपूत निवासी भीयाड़ तहसील
शिव जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत भीयाड़ जरिये सरपंच
2. खुमाणाराम पुत्र देवाराम जाति सुथार
निवासी सुथारों का बास, भीयाड़
तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 5(4)/98 दिनांक 15.10.
1998 जो अप्रार्थी सं. 2 खुमाणाराम के नाम ग्राम पंचायत भीयाड़
द्वारा जारी किया गया।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 16/2015

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति
राजपूत निवासी भीयाड़ तहसील
शिव जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत भीयाड़ जरिये सरपंच
2. अमृतादेवी पत्नी चम्पालाल जाति सुथार
निवासी सुथारों का बास, भीयाड़
तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 4(4)/98 दिनांक 15.10.
1998 जो अप्रार्थी सं. 2 अमृता देवी के नाम ग्राम पंचायत भीयाड़
द्वारा जारी किया गया।

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 17 / 2015

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

श्रवणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति
राजपूत निवासी भीयाड़ तहसील
शिव जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत भीयाड़ जरिये सरपंच
2. हरीशचन्द्र पुत्र देवाराम जाति सुथार
निवासी सुथारों का बास, भीयाड़
तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 3(4)/98 दिनांक 15.10.1998 जो अप्रार्थी सं. 2 हरीशचन्द्र के नाम ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :- उपर्युक्त तीनों ही निगरानी प्रार्थना पत्रों मे-

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी सं. 3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24 / 02 / 2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त तीनों ही निगरानी प्रार्थना पत्रों में एक समान तथ्य एवं विवाद बिन्दु निहित होने से तीनों ही प्रार्थना पत्रों का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा अप्रार्थी सं. 2 खुमाणाराम, अमृता देवी एवं हरीशचन्द्र के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम भीयाड़ में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 5(4)/98, 4(4)/98, 3(4)/98 दिनांक 15.10.1998 जारी किया गया। ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा इन पट्टा विलेखों को जारी करने में

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गए हैं जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत भीयाड़ द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर ग्राम भीयाड़ के खसरा नम्बर 306 ओरण की भूमि हैं। इस प्रकार ओरण की भूमि पर किसी को मकान बनाने अथवा कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा आलौच्य पट्टा प्रारम्भ से शून्य होने से निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राम पंचायत भीयाड़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में वर्षों पुराना (पीढियों से बना) मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया लेकिन आलौच्य पट्टे की भूमि पर मकाने बने होने के संबंध में किसी प्रकार के प्रमाण के अभाव में भी पट्टा जारी कर दिये गए हैं। ग्राम पंचायत की मौका कमेटी द्वारा पीढियों का कब्जा होने की रिपोर्ट की है जिसका कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख किस नियम के तहत जारी किये गए हैं इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है तथा 1961 के नियमों के तहत बने प्रारूप में जारी किये गए हैं। अतः आलौच्य पट्टे नियम विरुद्ध एवं आरण की भूमि का होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित तथ्य गलत है तथा ग्राम



Ansh
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

पंचायत द्वारा जारी किये गए आलौच्य पट्टा विलेख आबादी भूमि में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किये गए हैं। ग्राम भीयाड के खसरा नम्बर 306 ओरण भूमि एवं खसरा नम्बर 299 मौके पर एकल थी तथा बीच में कोई सेढा या माठ इत्यादि सीमाचिन्ह नहीं थे। ग्राम पंचायत द्वारा खसरा नम्बर 299 को आबादी भूमि मानते हुए प्रस्ताव तहसीलदार शिव को भिजवाया गया तथा इसी खसरा नम्बर 299 पर अप्रार्थी का कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है तथा इस पर अप्रार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों के मकान आदि बने हुए हैं। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचो प्रेमसिंह, भंवराराम व मंजू देवी की कमेटी गठित की तथा उक्त कमेटी की पूर्ण जांच एवं रिपोर्ट उपरांत आलौच्य पट्टा जारी किये गए हैं। प्रार्थी स्वयं एक अतिचारी हैं जिसने खसरा नम्बर 306 में रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैधानिक तरीके से दुकान निर्माण करवाया गया है, जिसके विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने उक्त सिविल वाद से ध्यान विचलित करने के उद्देश्य से यह झूठे निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद बाहर प्रस्तुत किये गए हैं जो खारिज योग्य हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम भीयाड की आबादी भूमि में मौहल्ला सुथारों का बास में अप्रार्थी के पुराने पीढीयों के मकान को विनियमितीकरण के द्वारा जारी किये गए है। ग्राम पंचायत भीयाड द्वारा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए यह पट्टा जारी किया गया है। इसके उपरांत प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन है कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम भीयाड के खसरा नम्बर 306 गैर मुमकीन ओरण की भूमि का है जिस पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इस बाबत



Ansh
जिला कलेक्टर
बाडमेर

अप्रार्थी सं. 2 के भौतिक कब्जे की मौका रिपोर्ट भिन्न-भिन्न समय में चार बार तलब की गई, जिसमे चारों रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018, 27.07.2018, 05.10.2018 एवं 27.11.2019 मे अप्रार्थीगण सं. 2 के कब्जे को भिन्न-भिन्न प्रकार से पाया गया हैं। इससे प्रकट होता हैं कि मौके पर गांव की आबादी की घनी बसावट होने तथा नजदीकतम किसी स्पष्ट सीमाचिन्ह के अभाव में पुख्ता सीमांकन भी नही हो पाया है। इस बाबत अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रकट किया हैं कि खसरा नम्बर 299 गैर मुमकीन आबादी एवं खसरा नम्बर 306 के बीच कोई सीमाचिन्ह मौजूद नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये आलौच्य पट्टा जारी करने में जो मुख्य अनियमितता एवं अवैधानिकता प्रकट की गई है कि यह ओरण भूमि में है, प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर संदिग्धता प्रतीत होती हैं तथा भिन्न-भिन्न समय में प्राप्त भिन्न-भिन्न मौका रिपोर्ट के आधार पर यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता हैं कि अप्रार्थीगण का रहवास ओरण भूमि पर हैं। इसके अलावा प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र में कोई सारवान तथ्य अथवा अनियमितता अथवा अवैधानिकता की ओर से न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं कराया हैं और न ही ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की अवैधानिकता दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसे मे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य प्रतीत होते हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तीनों ही निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 5(4)/98, 4(4)/98 व 3(4)/98 दिनांक 15.10.1998 यथावत बहाल रखे जाते हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर

बाड़मेर